(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 317/2025 दायर दिनांकः 24.11.2025

उनवान

1— कन्हैयालाल पिता कंवरलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
2— गोकुल पिता कंवरलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
3— धापूबाई पत्नी स्व. कंवरलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह रायपुर
4— नानूराम पिता कंवरलाल जाति दांगी निवासी हेम्मतगढ़ तह. रायपुर
5— राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह रायपुर
6— सोनीबाई पुत्री कंवरलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
7— परमानन्द पुत्र प्रहलाद जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
8— बहीलाल पुत्र प्रहलाद जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह रायपुर
9— रतनलाल पुत्र प्रहलाद जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह रायपुर
10— हूड़ीबाई पुत्री प्रहलाद जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
11— दुर्गालाल पिता छीतरलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
12— रमेशचन्द पिता छीत्तरलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
13— कालूलाल पिता छीतरलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
14— जानीबाई पत्नी छीतरलाल जाति वांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
15— पूरीलाल पिता मागीलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
16— भारमल पुत्र मांगीलाल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह रायपुर
17— ममताबाई पुत्री भारमल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह, रायपुर
18— लालचन्द पुत्र भारमल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह, रायपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1— कारूलाल पुत्र भारमल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
2— प्रकाशचन्द पुत्र भारमल जाति दागी निवासी हिम्मतगढ़ तह, रायपुर
3— भूलीबाई पत्नी स्व. भारमल जाति दागी निवासी हिम्मतगढ़ तह. रायपुर
4— रामेश्वर पुत्र भारमल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह रायपुर
5— विष्णुप्रसाद पुत्र भारमल जाति दांगी निवासी हिम्मतगढ़ तह रायपुर
6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर रह. रायपुर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :—
अभिभाषक प्रार्थीगण — श्री महेन्द्रसिंह जैन
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 5 — श्री विनोद शर्मा
अप्रार्थी सं. 6 — पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनाक: 11.06.2026

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम हिम्मतगढ़ प.ह हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर की आराजी खाता संख्या 55 के खसरा नं.821 रकबा 1.4164 हे० प्रार्थीगण 1 लगायत 10 के नामखाते दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में नकल जमाबंदी सम्वत 2072–75 पेश है। यह कि ग्राम हिम्मतगढ़ प.ह. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर की आराजी खाता संख्या 76 के खसरा नं.820 रकबा 0.8220 है० प्रार्थीगण 11 लगायत 18 के नामखाते दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 पेश है। यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं.821 व 820 पर आने जाने का सनातनी रास्ता सरकारी गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं.841 में होकर अप्रार्थी संख्या 3 भूलीबाई के नाम दर्ज खसरा नं.735 रकबा 1.1888 हे० बीड में होकर अप्रार्थीगण लगायत 5 के नाम दर्ज खसरा नं. 738 रकबा 1.9349 हे० बीड में होकर रहा है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण सदैव से अपने बाप बुढ़ो से करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खसरा नं.735 व 736 बीड़ होकर हमेशा से पड़त रही है। इरा कारण कभी भी किसी ने भी प्रार्थीगण के रास्ते को नहीं रोका परन्तु अप्रार्थीगण ने खसरा नं.735 व 736 बीढ़ पड़त आराजी को हांक जोत कर प्रार्थीगण का हमेशा का रास्ता बंद कर दिया। दिनांक 16.11. 2025 को प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नं.820 व 821 पर ट्रेक्टर लेकर गये तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करा, हाथों में लत लेकर आए और मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। प्रार्थीगण पर पत्थर फेंके तथा धमकी दी की इस रास्ते से निकले तो जान से मार देंगे। प्रार्थीगण को अपने खेत में फसल की हंकाई बुवाई नहीं करने दी। दिनांक 16.11.2025 को उक्त सम्बन्ध में पुलिस थाना अधिकारी रायपुर के यहां रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तथा तहसीलदार महोदय के यहां भी रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला कलेक्टर महोदय के यहां प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिन्होंने श्रीमान एस.डी. एम. साहब पिड़ावा के यहां कार्यवाही करने के लिए भेज दिया। एस.डी.एम.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

साहब पिड़ावा ने भी तहसीलदार महोदय रायपुर को कार्यवाही करने के लिए लिखा जिन्होने भी आज तक रास्ता खुलासा करवाये जाने में कोई कार्यवाही नहीं की इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि खाता संख्या 76 खसरा नं.820 के खाते में दर्ज छीतरलाल की मृत्यु हो गई है तथा प्रार्थीगण 11 लगायत 14 छीतरलाल के वैध वारीसान है तथा छीतरलाल के नाम दर्ज आराजी प्राथीगण 11 लगायत 14 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिनकी आर से भी यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को हमेशा के रास्ते से नहीं निकलने दे रहे है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में फसल की बुवाई नहीं कर पाये है। जबकि प्रार्थीगण का उक्त रास्ता बरसों पुराना है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 820 व 821 पर जाने आने का राजस्व रेकार्ड में कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की आवश्यकता अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। [The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding] अप्रार्थीगण के द्वारा प्राथीगण का रास्ता रोक देने से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 820 व 821 पर जाने–आने की परशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आगजीयात पर जाने आने के लिए 12 फिट चौडाई में रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने में उपयोग हो सके। यह कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में निर्धारित मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान करने के लिए तैयार है। यह कि अप्रार्थी नं. 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर को आवश्यक पक्षकार होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी ग्राम हिम्मतगढ़ प.ह. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर की आराजी खाता संख्या 55 के खसरा नं. 821 रकबा 1.4164 हे० तथा खाता संख्या 76 के खसरा नं.820 रकबा 0.8220 हे० पर जाने आने, ट्रेक्टर, मशीन,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(6)

कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 3 भूलीबाई के नाम दर्ज खसरा नं.735 रकबा 1.1888 हे० बीड़ में होकर तथा अप्रार्थीगण लगायत 5 के नाम दर्ज खसरा नं.736 रकबा 1.9349 हे० बीड़ में होकर 12 फिट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत किया जायें। रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। .

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी नं. 1 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के यहां पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण जोर–जबरदस्ती व ताकत के बल पर अप्रार्थीगण के यहां रास्ता निकालना चाहते है। प्रार्थीगण का रास्ता ग्राम हिम्मतगढ़ से कचराखेड़ी जाने वाले रास्ते से होकर खसरा नं. 823, 825 की उपरी मेढ़ से होता हुआ 821 पर जाता है। प्रार्थीगण सनातन काल से उस रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण व अन्य लोग भी इस वैकल्पिक रास्ते का उपयोग उपभोग करते है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भी इस वैकल्पिक रास्ते को नहीं दर्शाया गया है वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के यहां से नया रास्ता कायम नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण अपने बाप–दादा के जमाने से खसरा नं. 823, 825 के उपरी मेढ़ वाले रास्ते का ही उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के द्वारा भूलीबाई के आराजी को बीड़ बताया गया है पर वर्तमान में भूलीबाई के खेत में प्याज की फंसल बो रखी है। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार से कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं किया। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण वैकल्पिक रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है और अप्रार्थीगण के यहां पर प्रार्थीगण का कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण के पास

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(7)

अल्टरनेट रास्ता है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 8 अस्वीकार है और राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें स्पष्ट बताया गया कि जमीन बदले जमीन दी जा सकती है। **विशेष आपत्ति**– यह कि अप्रार्थीगण के यहां पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण जोर–जबरदस्ती व ताकत के बल पर अप्रार्थीगण के यहां रास्ता निकालना चाहते है। प्रार्थीगण का रास्ता ग्राम हिम्मतगढ़ से कचराखेड़ी जाने वाले रास्ते से होकर खसरा नं. 823, 825 की उपरी मेढ़ से होता हुआ 821 पर जाता है। प्रार्थीगण सनातन काल से उस रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण व अन्य लोग भी इस वैकल्पिक रास्ते का उपयोग उपभोग करते है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भी इस वैकल्पिक रास्ते को नहीं दर्शाया गया है वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के यहां से नया रास्ता कायम नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण अपने बाप–दादा के जमाने से खसरा नं. 823, 825 के उपरी मेढ़ वाले रास्ते का ही उपयोग–उपभोग करते आ रहे है और ये रास्ता प्रार्थीगण के नजदीक ही पड़ता है। प्रार्थीगण के द्वारा भूलीबाई के आराजी को बीड़ बताया गया है पर वर्तमान में भूलीबाई के खेत में प्याज की फसल बो रखी है। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार से कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं किया। यह कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 6 सितम्बर 2023 में रास्ते में जो भूमि आती है उसका प्रतिकर डी०एल०सी० दर से नहीं लेकर जमीन के बदले जमीन दे दी जाती है। 251ए आर०टी०एक्ट में डी०एल०सी० के आधार पर प्रतिकर की बजाय भूमि के बदले भूमि दी जाये जिससे अप्रार्थीगण का नुकसान नहीं होगा क्योकि कृषि भूमि सिंचित है और उसके भाव लाखों रुपयो में है। डी०एल०सी० दर से रुपये बहुत कम मात्रा में मिलते है इस वजह से भूमि के बदले भूमि दी जावे एवं प्रार्थीगण की जमीन व अप्रार्थीगण की जमीन एक ही मेढ़ है इस वजह से जमीन के बदले जमीन दी जावे। यह कि प्रार्थीगण का रास्ता खसरा नं. 823, 825 की उपरी मेढ़ से प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिए 100 फीट की दूरी पर ही है जो सबसे लघुत्तम रास्ता है। अतः अप्रार्थी नं. 1 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(8)

पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

3. अप्रार्थी सं. 6 पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2026/255 दिनांक 18.03.2026 से जांच रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– गत जमाबंदी के ख.न. 821 का सर्वे बाद ख.न. 365 रकबा 1.4159 हैक्टेयर खाता संख्या 95 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर जाने हेतु प्रार्थियो के द्वारा धारा 251 ए के तहत वाद दायर किया हुआ है। गत जमाबंदी के खसरा संख्या 820 का सर्वे बाद खसरा संख्या 363 रकबा 0.0252 व ख.स. 364 रकबा 0.7969 है० खाता संख्या 205 राजस्व रिकार्ड है। उक्त खसरा संख्या 821 व 820 गत जमाबंदी व सर्वे बाद ख.स. 365,363,364 हेतु पहुंच हेतु रिकार्डेड रास्ते की उपलब्धता नही है। रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है तथा प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच हेतु वैकल्पिक प्रचलित रास्ते की उपलब्धता भी नही है। प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 820 व 821 सर्वे बाद ख.न. 365,363,364 तक पहुंच हेतु न्यूनतम रास्ते की लम्बाई को मौके पर नापा गया ख.स. 365 नया (821 पुराना ख. स.) की उत्तरी पूर्वी दिशा मे खा. 368 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होते हुए पूर्वी कोने से उत्तर दिशा मे चलकर वहा से पूर्वी दिशा के कोने तक कुल लम्बाई 127 मीटर यानि 417 फुट लम्बाई का न्यूनतम रास्ता बनता है ख.स. 368 सर्वे से पूर्व ख.स. 735 है उक्त खसरा संख्या की खातेदारी भूलीबाई पत्नि भारमल जाति दांगी सा.देह. खाता संख्या 305 (नया) दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसके बाद कचराखेडी को जाने वाला रास्ता ख.स. 1874 रकबा 0.5268 है० किस्म गै.मु. रास्ता आता है। खसरा संख्या 821,820 सर्वे बाद ख.स. 365,363,364 तक पहुंच मार्ग हेतु ख.स. 365 मे आम रास्ता तक ख.स. 368 की 417 कुल लम्बाई व 12 फुट चौडाई कुल 5004 वर्ग फीट भूमि लगभग 0.0465 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग में आवेगी।

4. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम हिम्मतगढ तहसील रायपुर का खाता सं. 76, 55, 199, 128, 1 की जमाबंदी सं. 2072–75, खसरा नक्शा दिनांक 20.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

11.2025, छीतरलाल का मृत्यु प्रमाणपत्र, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2025 की छायाप्रति, हाल सेटलमेंट का मिलान क्षेत्रफल, ग्राम हिम्मतगढ का खाता सं. 205, 95 की जमाबंदी सं. 2081, खसरा नक्शा दिनांक 11.05.2026, बोर्ड आफ रेवन्यु राज. 2019(1) आरआरटी 285 मनकौरी बनाम वेदप्रकाश न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से खसरा नक्शा दिनांक 18.11.2025 पेश की। अप्रार्थी सं. 6 पेरोकार सरकार की ओर से हल्का पटवारी की रिपोर्ट, खसरा नक्शा दिनांक 05.03.2026, ग्राम हिम्मतगढ का खाता सं. 205, 305, 95 की जमाबंदी सं. 2081, डीएलसी दर की प्रति पेश की।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः—

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग —प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 से 5 एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 821 व 820 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम हिम्मतगढ तहसील रायपुर के नजरी नक्शा व लटठा नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। **अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है।**

(ii) वैकल्पिक रास्ता होना — अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी ख.नं. 821 पर पहूँच हेतु कोई भी प्रचलित वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 735 की दक्षिण मेड से होते हुए ख.नं. 736 की दक्षिणी पूर्वी मेड के सहारे होते हुए अस्थाई रूप से आते जाते रहे है लेकिन कुछ महिने पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई रास्ते को बंद कर लडाई झगडे पर आमदा है। प्रार्थीगण एवं उनके कृषि उपकरण को आने जाने से रोक दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उक्त अस्थाई रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर पहूॅचने के लिए स्थाई प्रचलित रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं. 6 पेरोकार सरकार ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में कोई वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं होना स्वीकार किया है। स्वयं अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन के पैरा सं. 2 में भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता दिया जाना स्वीकार किया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूॅच हेतु हाल ख.नं. 325 से होकर पूर्व ख.नं. 823 से होता हुआ ख.नं. 825 से होकर ख.नं. 821 तक पहूॅचता आ रहा है फिर भी यदि प्रार्थीगण भूमि के बदले भूमि दे तो अप्रार्थीगण को ख.नं. 735 व 736 से होकर रास्ता देने हेतु तैयार है। उभयपक्ष की बहस एवं तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता के मौका निरीक्षण के आधार पर प्रार्थीगण की आराजी पर पहूॅच हेतु कोई भी स्थाई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। **अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूॅच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।**

(iii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 820 व 821 तक पहूॅच हेतु कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नहीं है और कोई स्थाई वैकल्पिक रास्ता होना भी साबित नहीं है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। **अतः साबित होता है कि**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

(11)

प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) <u>लघुतम रास्ता होना</u>:– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लटठा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 06.03.2026 से जाहिर है कि **लघुत्तम रास्ता गत ख.नं. 735 की दक्षिण मेड से होते हुए ख.नं. 736 की दक्षिण पूर्वी मेड के सहारे होकर होगा जिसके तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार कुल लम्बाई 127 मीटर यानि 417 फीट होगी**। प्रार्थीगण द्वारा 12 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है जो कि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए पर्याप्त होता है। अतः चाहे गये रास्ते की तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार लघुतम लम्बाई 417 फीट होगी।

(v) <u>डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान</u>:– प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 820 व 821 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आने वाली भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है जबकि अप्रार्थी सं. 1 से 5 भूमि के बदले भूमि दिए जाने पर रास्ता देने को सहमत है। अप्रार्थीगण का कथन है कि डीएलसी दरो के हिसाब से रास्ते में जाने वाली भूमि का मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य से बहुत कम है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमियां एक दूसरे से लगवा है और इसलिए रास्ते की हस्तगत समस्या के समाधान के लिए भूमि के बदले भूमि दिया जाना अधिक न्यायोचित व प्रभावी प्रतीत होता है। **राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधिनियम संख्याक 2023) दिनांक 02.09.2023 राजस्थान राजपत्र भाग 4 क पेज नं. 409 दिनांक 06.09.2023** के तहत धारा 251 ए की उपधारा (1) आर.टी.एक्ट में संशोधन कर अवधारित किया गया कि प्रतिकर के संज्ञाय के एवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर रास्ता दिया जा सकता है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थी सं. 1 से 5 के

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

हाल ख.नं. 368 गत ख.नं. 735 व 736 की 417 x 12 = 5004 वर्ग फीट यानि करीब 465 वर्ग मीटर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण की लगवा भूमि हाल ख.नं. 365 गत ख.नं. 821 रकबा 1.4159 है. में से 5004 वर्ग फीट यानि करीब 465 वर्ग मीटर भूमि दिये जाने पर नवीन रास्ता कायम करना अधिक प्रभावी व न्यायोचित होगा।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण, अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषकगण अप्रार्थी सं. 1 से 5 की बहस तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 06.03.2026 के अनुसार ग्राम हिम्मतगढ तहसील रायपुर की प्रार्थीगण की भूमि हाल ख.नं. 365 गत ख.नं. 821 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि हाल ख.नं. 368 से होकर नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

8. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। ग्राम हिम्मतगढ तहसील रायपुर की प्रार्थीगण की भूमि हाल ख.नं. 365 गत ख.नं. 821 में से 5004 वर्ग फीट यानि करीब 465 वर्ग मीटर भूमि अप्रार्थीगण को पहूँच मार्ग की क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने पर अप्रार्थीगण की भूमि हाल ख.नं. 368 की दक्षिण पूर्वी मेड के सहारे 12 फीट चोडा एवं 417 फीट लम्बा नवीन रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा को पृथक से नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/06/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner